कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला रायसेन
(Telephone- 07482-222052 E-mail address- pswrai@nic.in)

// जिला स्तरीय विवेकानंद नशामुक्ति पुरूस्कार वर्ष 2019-20 चयन के मापदण्ड //

जिला स्तर पर नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत/समाज सेवियों/ स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये जिला स्तरीय ''विवेकानंद नशामुक्ति पुरूस्कार'' वर्ष 2019-20 प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। :-

(दो) जिला स्तर पर तीन विवेकानंद नशामुक्ति पुरूस्कार प्रदान किये जायेगे जिनके अंतर्गत 10 हजार रू. एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेगे।

जिला स्तरीय विवेकानंद नशामुक्ति पुरूस्कार वर्ष 2019-20 के चयन हेतु निम्नवत् मापदण्ड निर्धारित है।

(क) चयन के मापदण्ड :- जिला स्तरीय विवेकानंद नशामुक्ति पुरूकार के लिए उत्कृष्ट समाज सेवी के चयन का निम्नलिखित मापदण्ड होगा :-

1. पुरूस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसे समाज सेवी अथवा समाज सेवियों का चयन किया जावेगा जो संबंधित जिले में नशामुक्ति के क्षेत्र मे कार्यरत हो।
2. निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरूस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरूस्कार के निर्णायक मंडल में वे सदस्य हैं।
3. नशामुक्ति के क्षेत्र में इस पुरूस्कार के अलावा अन्य कोई पुरूस्कार प्राप्त समाजसेवी भी ''विवेकानंद नशामुक्ति पुरूस्कार'' के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होगे।
4. शासकीय एवं अर्द्ध- शासकीय वेतनभोगी व्यक्ति पुरूस्कार के लिये पात्र नहीं होगे।
5. समाज सेवा कार्य जिले में निर्दिष्ट नशामुक्ति के क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए।
6. पुरूस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनो प्रकार के सेवा कार्यो का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाज सेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है अर्थात सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरंतरता आवश्यक है।
7. पुरूस्कार चूंकि समाज सेवी के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए।
8. सेवा के क्षेत्र में समाज सेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/ वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।
9. परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात नई पद्धति/ नए क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, इस पर भी विचार किया जाएगा।

10. किसी स्वैच्छिक संगठन से संबंद्ध समाज सेवी के नशामुक्ति कार्य को पुरूस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा, नशामुक्ति कार्य से समाज सेवी सीधे तौर पर जुडा होना चाहिए, संगठन की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा।

(ख) जिला स्तरीय विवेकानंद पुरूस्कार वर्ष 2019-20 के लिये नियम शर्तें मध्यप्रदेश राज्य पत्र (असाधारण) भोपाल क्रमांक/एफ-3-45-09-छब्बीस-2 दिनांक 1 अप्रेल 2010 के अनुसार होगे।

(ग) प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :-

पुरूस्कार हेतु प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 07 सितम्बर 2019 अपरान्ह 5.00 बजे तक उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग रायसेन पिन कोड क्रमांक 464551 के पते पर डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। दिनांक 07.09.2019 के बाद प्राप्त प्रविष्टियों को पुरूस्कार के लिये मान्य नहीं किया जावेगा।

विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र रायसेन जिले की बेबसाइट www.raisen.nic.in पर देख सकते है।

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग
जिला रायसेन

// प्रविष्टियाँ हेतु आवेदन का प्रारूप//

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – रायसेन

विषय :– विवेकानंद नशामुक्ति पुरूस्कार वर्ष 2019–20 हेतु आवेदन

1. समाज सेवी/ ग्राम पंचायत/ स्वैच्छिक संगठन का पूर्ण परिचय :– (संलग्न करे)
नाम ....
पता ....
मोबाईल नम्बर .... ई–मेल आईडी ....
अन्य ....

2. नशामुक्त के क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये सेवा कार्यो का विस्तृत जानकारीः–
....(संलग्न करे)

3. उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कही कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसके विवरण सहित प्रतिवेदन की प्रतिलिपि :–
....(संलग्न करे)

4. नशामुक्ति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र, पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की सत्यापित छायाप्रतियाँ :–
....(संलग्न करे)

5. रचनाएँ/ प्रकाशन/आत्मकथा (यदि कोई हो) :–
....(संलग्न करे)

6. पूर्व में यदि कोई पुरूस्कार मिला/सम्मान/ प्रशंसा प्रमाण– पत्र हो तो उसका विवरण :–...(संलग्न करे)

7. चयन होने की दशा में पुरूस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति :–
....(संलग्न करे)

आवेदक/ संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर